जलागम विकास घटक
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0

"Watershed Development Component PMKSY - 2.0"

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड

www.wmduk.gov.in

परियोजना विवरण

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय पत्रांक F.No.K-11011/26/2022-WDC 2.0/ Uttarakhand (efile 3011914) दिनांक 20 जनवरी 2022 द्वारा 90 प्रतिशत केन्द्र एवं 10 प्रतिशत राज्य द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 (PMKSY-WDC 2.0) के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। जिसमें 11 विकासखण्डों के अन्तर्गत चयनित 25 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 370 ग्राम पंचायतों के 918 राजस्व ग्रामों में संचालित की जायेगी। परियोजना द्वारा 33875 परिवार लाभन्वित होंगे। चयनित सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत कुल परियोजना क्षेत्रफल 70231 हे० है। जिसका कुल बजट ₹ 196 करोड़ है।

परियोजना का उद्देश्य राज्यान्तर्गत स्वीकृत जलागम विकास परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन के माध्यम से वर्षा आधारित/निम्नकोटी भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना है तथा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास करते हुए उनकी सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्धि करना है।

किसान उत्पादन संगठन क्या है ?

प्राथमिक उत्पादों द्वारा गठित संगठनों को सामान्यत: उत्पादक संगठन के नाम से जाना जाता है। उत्पादक संगठन (पीओ)– एक उत्पादक कंपनी/ सहकारी समिति या कोई अन्य विधिक निकाय हो सकता है। जो व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकता है और इससे प्राप्त लाभ को अपने सदस्यों के बीच बाँट सकता है, यदि किसी उत्पादक संगठन का गठन किसानों एवं (डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि जैसे सम्बद्ध कार्यकलापों सहित) एवं अन्य कृषि प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किया जाता है। तो इसे कृषक उत्पादक संगठन कहा जाता है।

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन कैसे करें?

चरण 1 : स्वाभाविक क्लस्टरों की पहचान

- ★ विकसित वाटर शेड, कमॉडिटी क्लस्टर, नाबार्ड समर्थित संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में शामिल किसान और किसान क्लब/ संयुक्त देयता समूह।
- ★ किसान क्लबों/स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों के फेडरेशन, ग्राम वाटर शेड समितियाँ, कमॉडिटी ग्रुप, जल उपयोगकर्ता संघ, बीज ग्राम क्षेत्र आदि।
- ★ आरकेवीवाई के अंतर्गत गठित पैक्स/समूह, दुग्ध सहकारी समितियाँ, मत्स्यपालन सहकारी समिति संस्थाएं और अन्य अनौपचाकि समूह, साझा हितधारक समूह, संघ आदि।
- ★ क्लस्टर में 8 से 10 हजार किसानों की आबादी वाले 1 या 2 ब्लॉक होने चाहिए।

चरण 2 : निदानात्मक अध्ययन/आधार स्तरीय सर्वे

- ★ संवर्धक एजेंसी को किसानों की वर्तमान स्थिति, उत्पादन के रूप में कृषि के स्तर फसलों के प्रकार, बाजार माध्यमों और अपेक्षित महत्वपूर्ण सहयोगों, बुनियादी संरचनाओं की कमी तथा किसान उत्पादक संगठन को दीर्घकाल तक चलाने की दृष्टि से अपेक्षित अन्य पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाएं।

चरण 3 : किसानों की जागरूकता और उन्हें साथ लाना

- ★ किसानों को किसान उत्पादक संगठन गठित करने के महत्व और संभावित लाभों के बारे में बताने के लिए गांवों में बैठके कर, पर्चे, पैम्फ्लेट आदि बाँटकर जागरूकता पैदा करना।

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

- ★ संबंधों, सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों, स्थानीय परंपराओं/रिवाजों आदि का विश्लेषण और समाज को साथ लाना और अग्रणी किसानों की पहचान करना।
- ★ किसान उत्पादक संगठन की संकल्पना की बेहतर समझ के लिए एक्सपोजर दौरों की व्यवस्था करना।
- ★ मूल श्रृंखला विश्लेषण, साध्यता विश्लेषण और क्षेत्र के लिए उपयुक्त संभावित, व्यावसायिक गतिविधियों की आयोजना और प्रमुख हितधारकों की भूमिका।
- ★ बाजार परिदृश्य माँग और आपूर्ति के बीच अंतर और संभावित गतिविधियों की पहचान।
- ★ सामान्यतया सदस्य उत्पादक कंपनी में ₹ 10/– के अंकित मूल्य वाले शेयर (50 से 100 शेयर) खरीदते हैं।
- ★ सहकारी संस्थाओं के मामले, में इसके प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई राशि के अनुसार शेयर पूंजी अंशदान किया जाता है।
- ★ उत्पादक कंपनी गठित करने के लिए न्यूनतम 10 व्यक्तियों, 2 उत्पादक संस्थाओं अथवा 10 या अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं के संयोजन की आवश्यकता होती है।
- ★ निगमन के समय उत्पादक कंपनी की न्यूनतम प्राधिकृत पूंजी ₹ 5 लाख होनी चाहिए।

चरण 4 : उत्पादक संगठन की संरचना और गठन

जब क्लस्टर के किसानों/साझा हित वाले अनौपचारिक समूहों को कृषक उत्पादन संगठन की संकल्पना, उसमें निहित व्यवसाय जोखिमों की धारणा और कृषक उत्पादक संगठन के रूप में एकजुट होने के सकारात्मक प्रभावों की पर्याप्त समझ हो जाए तो उन्हें साथ मिलकर और कम से कम 100 किसानों की आरंभिक शेयरधारिता वाली सदस्यता से एफपीओ गठित करने में सहयोग दिया जा सकता है एफपीओ के गठन को औपचारिक रूप देने में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

- ★ निदेशक मंडल का गठन– अधिनियम/उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार
- ★ विधिक दस्तावेज तैयार करना– संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम
- ★ संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकरण/निगमन
- ★ व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक कुशलता रखने वाले सीईओ/अन्य प्रमुख स्टाफ की नियुक्ति
- ★ कृषक उत्पादक संगठन के निगमन/पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करना
- ★ पहली आम सभा का आयोजन और औपचारिक स्थापना

चरण 5 : व्यवसाय/वित्तीय आयोजना और संसाधन संग्रहण

- ★ संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के सहयोग से निदेशक मंडल के सदस्य और चुने हुए उत्पादक निदानात्मक अध्ययन सदस्यों के साझा दृष्टिकोण, जिन्सों की प्रकृति और दायरें, संस्था की संरचना, भंडारण की बुनियादी संरचनाओं, तकनीकी विस्तार, गुणवत्तापूर्ण निविष्टियों आदि तथा बाजार परिदृश्य क्षेत्र में व्यवसाय के विकल्पों/संभाव्यताओं एवं वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की आयोजना का कार्य कर सकते हैं उसके अनुसार परिचालन योजना तैयार की जाएगी और बैंको, अन्य उधारदाता एजेंसियों, सरकार दानकर्ता एजेंसियों, कारपोरेटों की सीएसआर निधियों आदि जैसे विविध संभव निधि स्त्रोतों से वित्तीय संसाधनों का संग्रहण किया जाएगा।

चरण 6 : क्षमता निर्माण और प्रबंध सूचना प्रणाली का विकास

- ★ चूंकी एफपीओ को अपनी वाणिज्यक व्यवसाय गतिविधियाँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में चलानी होगी, जिसमें कई प्रकार के जोखिम होंगे, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सीईओ, एफपीओ के प्रबंधन और अन्य प्रमुख सदस्यों का पर्याप्त क्षमता निर्माण किया जाए, क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यवसाय विकास, मानव संसाधन प्रबंध, वित्तीय और व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना, विपणन की तकनीकें, बुक कीपिंग, विवाद निपटान और अनुपालना आदि शामिल हैं।

चरण 7 : अन्य हितधारकों के साथ सांमजस्य

- ★ कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार के लिए केंद्र/राज्य सरकारें और विकास से जुड़े अन्य संगठन किसान केंद्रित कई योजनाएं चला रहे हैं एफपीओ को अन्य एजेंसियों के साथ उचित संबंध स्थापित कर और प्रयासों में सामंजस्य लाते हुए इन योजनाओं का लाभ उठाने में समर्थ होना चाहिए।

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

कृषक उत्पादक संगठन को निम्नलिखित किसी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है :

- ★ सहकारी समिति अधिनियम/स्वायत्त या संबंधित राज्य के पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समितियाँ अधिनियम ।
- ★ बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 (2013 में यथा संशोधित) की धारा 581 (सी) के अंतर्गत उत्पादक कंपनी ।

कृषक उत्पादक कंपनी (एफपीसी) के रूप में एफपीओ के निगमन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

- ★ विधिक दस्तावेज तैयार करना
- ★ पंजीकरण
  1. नामित निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना
  2. नाम की उपलब्धता के लिए आवेदन करना (फॉर्म-13)
  3. नाम उपलब्ध हो जाने के बाद आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे, जैसे-
     - ♦ संस्था के बर्हिनियम (एमओए)
     - ♦ संस्था के अंतर्नियम (एओए)
     - ♦ पंजीकृत कार्यालय के लिए फॉर्म सं-18
     - ♦ निदेशकों की नियुक्ति के लिए फॉर्म सं-32
     - ♦ प्रस्तावित निदेशकों के लिए डीआईएन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना
     - ♦ फॉर्म-1
     - ♦ आवश्यक परिवर्तनों के लिए परामर्श दाता को प्राधिकृत करने के लिए उसके पक्ष में मुख्तारनामा

एफपीओ निदेशक मंडल की भूमिका

प्रशासनिक-

- ★ सदस्यों को शामिल करना और सदस्यता का निरस्तीकरण ।
- ★ पदाधिकारियों का चयन और हटाना।
- ★ नीतियाँ और योजनाएं बनाना।
- ★ कार्यकारी समितियों या उप-समितियों का गठन।
- ★ कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके प्रदर्शन की समीक्षा।
- ★ प्रगति की नियमित समीक्षा
- ★ अन्य संगठनों और संघो में सदस्यता का निर्धारण।

वित्तीय -

- ★ धन जुटाना।
- ★ धन का उपयोग।
- ★ धन और परिसंपत्तियों की सुरक्षा।
- ★ बैंक खातों का रखरखाव।
- ★ लेखा पुस्तकों और बहीखातों का रखरखाव।
- ★ धन के आधिक्य का वितरण करना।
- ★ घाटे कर प्रबंधन करना।

वैधानिक-

- ★ चुनाव आयोजित करना।
- ★ खातों का ऑडिट।
- ★ वार्षिक रिटर्न फाइल करना।
- ★ उपनियमों में संशोधन।
- ★ साधारण सभा और निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करना।

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

सीईओ/प्रबंधक की निम्नलिखित भूमिका

1. एफपीओ के संचालक मंडल के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही हो –

- ★ लक्ष्यों, रणनीतियों, योजनाओं और नीतियों के निर्माण में संचालक मंडल की सहायता करना।
- ★ संचालक मंडल के निर्देश अनुरूप संचालक मंडल की बैठक, साधारण सभा की बैठक, बहीखाता रखरखाव, ऑडिट, वार्षिक रिटर्न इत्यादि वैधानिक बाध्यताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना।
- ★ संचालक मंडल और अन्य बाहरी सहायक एजेंसियों द्वारा चाही गयी सभी आवश्यक रिपोर्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- ★ एफपीओ के दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंधन करना।

2. संचालक मंडल के मार्गदर्शन में सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना –

- ★ एफपीओ/सदस्यों के कल्याण के लिए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना, व्यावसायिक योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना।
- ★ संचालक मंडल के निर्देशानुसार सदस्यों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना।
- ★ सदस्यों का शिक्षण–प्रशिक्षण करना।
- ★ एफपीओ के लिए संसाधन (वित्तीय, तकनीकी) जुटाना।
- ★ एफपीओ के लिए विभिन्न आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जुटाना।

3. संगठनात्मक प्रणाली और अनुपालन –

- ★ बही खातों का उचित संधारण करना वार्षिक लेखा तैयार करना और उसका ऑडिट करवाना एवं संचालक मंडल तथा सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
- ★ संचालक मंडल के निर्देश पर कर्मचारियों को भर्ती करना और उनके प्रदर्शन की अनुश्रवण करना।
- ★ एफपीओं में विभिन्न प्रणालियों की स्थापना और संचालन करना जैसे कि लेखांकन और बहीखाता रखरखाव, अनुश्रवण (निगरानी) और रिर्पोटिंग, उत्पादन, मार्केटिंग (विपणन), मानव संसाधन प्रबंधन, आदि।
- ★ सहयोगी संस्थाओं, भागीदारों और सरकारी संस्थाओं के साथ व्यवहार करना।

उत्पादक संगठन का संवर्धन कौन कर सकता है ?

कोई भी एकल व्यक्ति या संस्था जो अपने द्वारा सवंर्धित किए जाने वाले उत्पादक संगठन सहित अन्य संस्थाओं के साथ विधिक रूप से मान्य संविदा निष्पादित कर सकती है, उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था (पीओपीआई) बन सकती है, उत्पादकों के सामाजिक–आर्थिक विकास के अच्छे उद्देश्य से उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था सद्भावना से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए या दानकर्ताओं/वित्तपोषक एजेंसी से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से उत्पादक संगठन का संवर्धन कर सकती है, निम्नलिखित व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा उत्पादक संगठन का संवर्धन किया जा सकता है :

- ★ कोई अनुभवी व्यक्ति/एनजीओ/समुदाय आधारित संगठन
- ★ कापोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, विकास एजेंसियों
- ★ सरकारी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कमॉडिटी बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय/अनुसंधान एजेंसियाँ
- ★ सहकारी समितियाँ, बड़ी उत्पादक कंपनियाँ, उत्पादक असोसिएशन या फेडरेशन

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था (पीओपीआई) की भूमिका :

मोटे तौर पर पीओपीआई की जिम्मेदारियों में शामिल है :

- ★ क्लस्टर की पहचान
- ★ मूल श्रृखंला के विश्लेषण के साथ निदानात्मक और साध्यता अध्ययन
- ★ उत्पादकों को एकजुट करना और उत्पादक संगठन का पंजीकरण/निगमन और नियमों, उप नियमों, संस्था के अंतर्नियमों/बर्हिनियमों का निर्माण
- ★ उत्पादक संगठन प्रबंधन/उत्पादकों का क्षमता निर्माण और एक्सपोजर दौरे आयोजित करना
- ★ व्यवसाय आयोजना और संसाधन संग्रहण
- ★ उत्पादक संगठन में मजबूत प्रणालियाँ और कार्यपद्धतियाँ विकसित करना और
- ★ प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का विकास
- ★ व्यवसायगत निर्णयों/परिचालनों, लेखापरीक्षा और अनुपालन को सुकर बनाना
- ★ उत्पादक संगठन दीर्घकाल तक चले इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग और अन्य आरंभिक सेवाएं प्रदान करना।

प्राकृतिक क्लस्टरों की पहचान

1. वाटरशेड विकास कार्यक्रम
2. आरकेवीवाई कार्यक्रम

- ◆ वीडब्ल्यूसी
- ◆ एफसी/फेडरेशन
- ◆ एसएचजी/जेएलजी फेडरेशन
- ◆ कमोडिटी समूह
- ◆ पैक्स/मैक्स
- ◆ आरकेवीवाई समूह

कृषक

1. जागरूकता पैदा करना
2. सामाजिक संघटन
3. एक्सपोजर दौरे
4. मूल्य प्रस्ताव की पहचान
5. एजेन्सी की पहचान
6. बाजार की पहचान

- ◆ गांव की बैठक बुलाना
- ◆ अग्रणी कृषकों की पहचान
- ◆ सामूहिकीकरण के तर्क की पहचान
- ◆ एक्सपोजर दौरा आयोजित करना

एफपीओ फेडरेशन

1. बोर्ड का गठन
2. कानूनी दस्तावेज तैयार करना
3. पंजीकरण
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति

- ◆ एफपीओ स्थापित/कार्यालय स्थापित
- ◆ एफपीओ निगमीकरण किए जाने का प्रमाणपत्र
- ◆ आयोजित प्रथम आम बैठक
- ◆ तैयार की गई व्यवसाय योजना

एफपीसी गठन – 1. कानूनी दस्तावेज तैयार करना
2. पंजीकरण

किसानों को वैल्यू चैन (मूल्य श्रृंखला) से जोड़ने का योजनाबद्ध माध्यम

कृषक उत्पादक संगठन :

उत्पादकों, विशेषकर लघु और सीमांत कृषकों का उत्पादक संगठनों में सामूहिकीकरण कृषि की अनेक चुनौतियों का सामना करने हेतु अतिप्रभावी रास्तों में एक रास्ता उभर कर सामने आया है। विशेषकर निवेश, तकनीकी और बाजारों तक पहुँच में सुधार हुआ है। समृद्ध एवं संपोषणीय कृषि क्षेत्र का निर्माण करने के लिए सदस्यों के स्वामित्व वाले उत्पादक संगठनों को बढावा और समर्थन देना, जो किसानों को कुशल, लागत प्रभावी और टिकाऊ संसाधनों के उपयोग के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने और सरकार द्वारा समर्थिक सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से और शिक्षाविदों, अनुसंसाधन संस्थानों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के सार्थक सहयोग द्वारा अपने उत्पादन के लिए अधिक प्रतिफल पाने में सक्षम बनाता है।

- ★ आर्थिक दृष्टि से संभव लोतांत्रिक एवं स्वशासी किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना।
- ★ योग्य एवं अनुभवी संसाधन संस्थानों (आरआई) के माध्यम से ऐसे किसाना उत्पादक संगठनों के संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करना।
- ★ किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित सहायता एवं संसाधन- नीतिगत कार्यवाही, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।
- ★ एफपीओ के माध्यम से क्रेता एवं विक्रेता दोनों रूपों में एफपीओ के माध्यम से बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने में किसानों के सक्षम होने से जुडी बाधाओं को दूर करना।
- ★ उत्पादन एवं विपणन की उनकी सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने के लिए एफपीओ में निवेश के लिए अनुकूल नीति परिवेश का सृजन करना।

पहाड़ी क्षेत्रों में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन हेतु कम से कम 100 सदस्यों का होना आवश्यक है। जिससे की एक एफपीओ का गठन किया जायेगा तथा मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 300 सदस्यों का होना आवश्यक है। एफपीओ में लघु एवं सीमान्त किसानों का एक समूह होगा जिससे उनसे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार में उचित मूल्य मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण आदि खरीदना भी आसान हो जायेगा। जिससे किसानों की आय में वृद्धि व फसल उचित मूल्य एफपीओ के माध्यम से मिल सकेगा।

"Guideline For New Generation Watershed Development Project WDC PMKSY 2.0 के बिन्दु सं॰ 13.3 के अन्तर्गत एफपीओ का गठन, सेवाओं तथा वित्तीय सहयोग के सम्बंध में दिशा निर्देश दिये गये, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि एफपीओ गठन ईपीए कार्यक्रम के रूप में भी लिया जा सकता है।"

एफपीओ - सहायक संस्थान और प्रदान की जाने वाली सेवाएं

एफपीओ कई सहायक कार्यकलाप कर सकते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन और परियोजना के किसानों और अन्य गैर-किसान हितधारकों, दोनों को सेवा प्रदान करेगें। कुछ ऐसी सेवाएं जिन्हें एफपीओ प्रबंधित और वितरित कर सकता है, नीचे दी गई है -

क) **कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) -** कृषि मशीनरी और संबंधित सेवाओं को उच्च उत्पादकता प्राप्त करने और खेती की लागत कम करने के लिए किसानों और भूमिहीन मजदूरों को किराए पर दिया जा सकता है। एफपीओ उचित किराया वसूल करके इसे राजस्व मॉडल पर चला सकता है। एफपीओ को स्वयं चालू सीएचसी योजना का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए।

ख) **सामुदायिक बीज और रोपण सामग्री केंद्र -** यह विभिन्न कृषि विज्ञान, चारा और बागवानी फसलों के बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन कर सकता है। एफपीओ को स्थानीय क्षेत्र के लिए हाईब्रिड किस्मों के बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, उचित दरों पर उनके समय पर वितरण पर ध्यान देना होगा। ये इस तरह की पहल के ब्रांड वैल्यू बन सकते हैं।

ग) एफपीओ, किसानों की शक्ति पर फोकस कर सकते हैं और वनीकरण (कृषि-वानिकी), मत्स्य पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बागवानी पीडीएमसी के साथ समामेलन के माध्यम से मोरिंगा, आंवला, आम, काजू, जैसे पौधों और फूलों की खेती आदि क्षेत्रों के उपयुक्त संयाजन को लेकर एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना।

घ) पीडीएमसी के साथ समामेलन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर और चूल (पीवट) सिंचाई, ड्रिप सह मल्च, छोटे आकार के ग्रीनहाउस और फॉगर्स के साथ शेड नेट को बढ़ावा देना।

ड़) **फसलोत्तर प्रबंधन -** एफपीओ स्थानीय उत्पादों को एकत्रित करने और वैकल्पिक बाजार चैनलों से जोड़ने के लिए सुविधाओं और क्षमता का विकास करेगा। इनमें प्रत्यक्ष ब्रिकी के लिए प्राथमिकता के साथ, ऑनलाइन और भौतिक दोनों लेनदेन शामिल हैं। प्राथमिकता प्रसंस्करण, एकत्रीकरण, भंडारण और परिवहन के लिए सहवर्ती लॉजिस्टिक की स्थापना एफपीओ द्वारा की जाएगी। इसे कई चालू प्रासंगिक योजनाओं से लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए।

च) **बिक्री केंद्र और सेवा केंद्र का निमार्ण -** जहाँ से किसान एक ही स्थान पर सेवा शुल्क का भुगतान कर विभिन्न इनपुट खरीद सकते हैं और बीमा, क्रेडिट, पशुओं के टीकाकरण जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

छ) सरकारी योजना के तहत सहायता के अलावा, कौशल विकास, संस्थागत ऋण तक पहुँच को सुगम बनाकर माध्यमिक कृषि कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

ज) **कृषि मौसम विज्ञान संबन्धित -** कृषि के लिए पद्धतियों के पैकेज आदि कि प्रचार-प्रसार के लिए सूचना केंद्र का प्रबंधन करना।

झ) स्थानीय जरूरतों के अनुसार कोई अन्य सामाजिक/व्यावसायिक कार्यकलाप।

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

उत्पादन कंपनियों एवं सहकारी समितियों के बीच प्रमुख अंतर

मापदंड	सहकारी समिति	उत्पादक कंपनी
पंजीकरण	सहकारी समिति अधिनियम	भारतीय कंपनी अधिनियम
उदेश्य	एकल उदेश्य	अनेक उदेश्य
प्रचालन का क्षेत्र	प्रतिबंधित विवेकाधीन	संपूर्ण भारत संघ
सदस्यता	व्यक्तिगत एवं सहकारी समितियाँ	कोई व्यक्ति, समूह, संघ माल या सेवाओं का उत्पादक
शेयर	ब्रिकी के अयोग्य	ब्रिकी के अयोग्य किंतु समतुल्य मूल्य पर केवल सदस्यों को हस्तांतरित किया जा सकता है।
लाभ की हिस्सेदारी	शेयरों सीमित लाभांश	कारोबार की मात्रा के अनुपात में
मताधिकार	एक सदस्य एक मत किंतु सरकार एवं सहकारी समिति रजिस्ट्रार के पास वीटो पावर होता है।	एक सदस्य एक मत ऐसे सदस्य मतदान नही कर सकते है जो कंपनी के साथ लेन-देन नहीं करते हैं।
सरकार का नियंत्रण	दखल की सीमा तक अत्यधिक संरक्षित	न्यूनतम सांविधिक अपेक्षाओं तक सीमित
स्वायत्ता की मात्रा	'वास्तविक विश्व के परिदृष्य' में सीमित	पूरी तरह से स्वायत्ता अधिनियम के प्रावधानों के अंदर स्वत: अभिशासित
संचय	लाभ होने पर सृजन किया जाता है।	हर साल सृजन करना अनिवार्य है।
उधार देने की शक्ति	सीमित	अधिक आजादी तथा विकल्प
अन्य नियमित/व्यावसायिक घरानों/ गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध	लेनदेन के आधार पर	उत्पादक तथा निगमित निकाय आपस में मिलकर उत्पादक कंपनी का गठन कर सकते हैं।

एफपीओ -वित्तीय प्रबंधन हेतु बाह्य स्त्रोत

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) द्वारा किये जाने वाले कार्यकलाप

- ★ रिसोर्स संस्थानों (आर.आई.) की सहायता से कृषक उत्पादक संगठनों का संघटन और निर्माण।
- ★ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण।
- ★ व्यवसाय योजना पर सी.ई.ओ., बी.ओ.डी. और सदस्य कृषकों का प्रशिक्षण, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तैयारी और निष्पादन, प्रशासनिक अनुपालन और मौलिक लेखांकन आदि।
- ★ कृषक उत्पादक संगठन में पंजीकरण के बाद 3 वर्ष हेतु सी.ई.ओ, कार्यालय व्यय आदि के प्रबंधन हेतु कृषक उत्पादक संगठनों को सहायता।
- ★ वर्तमान योजनाओं के सामंजस्य के तहत संरचनात्मक सहायता।
- ★ निम्नालिखित के माध्यम से वित्त पोषण सहायता
  - ➢ **इक्विटी अनुदान योजना :** लघु कृषक कृषि व्याापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) कृषक उत्पादक संगठनों के शेयर कैपिटल को दोगुना करने के लिए 15.00 लाख रुपये तक का इक्विटी अनुदान मुहैया कराता है।
  - ➢ **क्रेटिड गारंटी फंड :** कृषक उत्पादक संगठनों को कोलेटरल गारंटी (आपको लोन लेते समय कोई न कोई सिक्यौरिटी जमा करनी होती है) के बिना ऋण सहायता प्रदान करने एवं वित्तीय संस्थानों को कवर प्रदान करने हेतु लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) में 100.00 करोड़ रुपये का कार्पस सृजित किया गया है।

किसान उत्पादक कंपनी के लिए शेयर पूंजी अनुदान निधि (ईजीएफ) योजना

क्या है शेयर पूँजी अनुदान निधि ?

- ★ शेयर पूँजी अनुदान निधि, किसान उत्पादक कंपनी से जुड़े किसानों की सशक्त बनाने हेतु एक केन्द्रीय योजना है।
- ★ इस योजना को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा संचालित किया जाता है।
- ★ यह योजना किसान उत्पादक कंपनियों शेयर पूँजी आधार को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करती है।
- ★ यह योजना पात्र किसान - उत्पादक कंपनी के शेयर धारक सदस्यों को शेयर पूँजी अंशदान के बराबर राशि अनुदान में प्राप्त करने में समर्थ बनाती है।
- ★ यह किसान उत्पादक कंपनी के समग्र पूँजी आधार में वृद्धि करती है।
- ★ यह योजना नए व उभरते हुए किसान उत्पादक कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।

योजना की स्वीकृति

- ★ इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु एक शेयर पूँजी अनुदान स्वीकृति समिति (ईजीएससी) का गठन किया जाएगा।
- ★ समिति में 4 सदस्य होगें तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होगें।
- ★ शेयर पूंजी अनुदान प्रत्येक किसान उत्पादक कंपनी के लिए 10 लाख रू० की अधिकांश ऊपरी सीमा के अधीन नगद सहायता के रूप में होगा।
- ★ यह राशि किसान उत्पादक कंपनी में शेयर पूँजी की राशि बराबर होगी।
- ★ स्वीकृत शेयर पूँजी अनुदान को किसान-उत्पादक कंपनी के बैंक खाते में सीधे अंतरित किया जाएगा।

MARKETING MANAGEMENT DIRECTORATE

शेयर पूंजी अनुदान निधि के उदेश्य

- ★ किसान–उत्पादक कंपनियों को व्यापार हेतु सक्षम बनाना।
- ★ ऋण हेतु किसान उत्पादक कंपनियों की उपयुक्ता में बढ़ोत्तरी करना।
- ★ किसान–उत्पादक कंपनी के सदस्यों के स्वामित्व एवं भागीदारी में वृद्धि को सुनिश्चित करना।

योजना हेतु किसान उत्पादक कंपनियों के लिए पात्रता के मापदंड

- ★ किसान उत्पादक कंपनी विधिवत रूप से भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के भाग 9 (ए) के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- ★ संस्था के अंतनियमों/उप नियमों में दिए प्रावधानों के अनुसार सदस्यों से शेयर पूँजी जुटाई गई हो।
- ★ इसके व्यक्तिगत शेयर धारकों की संख्या 50 से कम न हो।
- ★ इसकी संदत्त शेयर पूँजी 30 लाख रू॰ से अधिक न हो।
- ★ न्यूनतम 33 प्रतिशत योयर धारक छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन किसान होने चाहिए।
- ★ संस्थानिक सदस्य से भिन्न किसी एक सदस्य द्वारा धारित शेयरों की अधिकतम संख्या किसान–उत्पादक कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ★ किसी संस्थानिक सदस्य द्वारा धारित शेयर की अधिकतम संख्या किसान उत्पादकत कंपनी की कुल शेयर पूँजी 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
- ★ निदेशक मंडल (बीओडी) में कम से कम 5 सदस्य हो तथा अनिवार्य रूप से एक महिला सदस्य भी हो।
- ★ एक प्रबंध समिति, जो किसान उत्पादक कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार हो।
- ★ अगले 18 महिनों के लिए संपोषणीय राजस्व प्रतिमान पर आधारित एक कारोबार योजना एवं बजट हो।
- ★ किसी अनुसूचित बैंक में किसान–उत्पादक कंपनी का खाता हो।
- ★ न्यूनतम, एक पूर्ण वित्त वर्ष के लिए किसी सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित लेखा–विवरण हो।

शेयर पूंजी अनुदान निधि के लिए आवेदन की प्रक्रिया

- ★ आवेदन के लिए शेयर धारक सूची तथा सदस्यों के शेयर पूँजी अंशदान का विवरण किसी सनदी लेखाकार (सी.ए.) द्वारा सत्यापित व प्रमाणित होना चाहिए।
- ★ कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पूँजी अनुदान प्राप्त करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि। इस प्रस्ताव को भविष्य में होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में सत्यापित किया जाना होगा।
- ★ शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित बैंक खाता विवरण की छायाप्रति का होना अनिवार्य है।
- ★ अगले 18 महिनों के लिए किसान उत्पादक कंपनी के कारोबार योजना एवं बजट का होना अनिवार्य है।
- ★ आवेदन पत्र तथा संलग्न सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर किसान उत्पादक कंपनी के कम से कम दो बोर्ड सदस्यों या अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

- उपर्युक्त योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कृषक उत्पादक संगठन अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं और अधिक जानकारी के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) की वेबसाइट www.sfacindia.com देख सकते हैं।

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

संदर्भ :-

- Guideline for (WDC-PMKSY 2.0) DEPT. of LAND RESOURCES, Ministry of Rural Development GOVT. OF INDIA
- Policy & Process Guideline for FPO- DEPT. OF AGRICULTURE AND COOPERATION, Ministry of Agriculture GOVT. OF INDIA
- प्रसार फोल्डर FPO की संकल्पनाएं और कार्य –पद्धतियाँ, राष्ट्रीय कृषि और गामीण विकास बैंक नाबार्ड, उत्तराखण्ड
- प्रसार फोल्डर FPO की संगठन का प्रकार और विधिक संरचना, राष्ट्रीय कृषि और गामीण विकास बैंक, नाबार्ड, उत्तराखण्ड